### <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण क. 326 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—25.04.2013</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा, अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला–बालाघाट (म०प्र०) — — — — <u>अभियोजन</u>

### / / <u>विरूद</u> / /

- लखनू पिता छोटेलाल पांजरे, उम्र 36 वर्ष, जाति मरार,
  निवासी कचनारी मंदिरटोला, थाना बिरसा, जिला–बालाघाट (म.प्र.)
- कोमल पिता वीरसिंह सेन, उम्र 30 वर्ष, जाति नाई,
  निवासी—अचानकपुर, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — <u>आरोपीगण</u>

### // <u>निर्णय</u> //

# <u>(आज दिनांक— 09 / 06 / 2014 को घोषित)</u>

- 1. आरोपी लखनू पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (दो—बार) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177 के तहत आरोप है कि आरोपी लखनू ने दिनांक—08.04.2013 को सुबह करीब 9:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी. 50/एम.सी.6668 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं आहतगण राधेलाल एवं नेमसिंह को को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया और मौके पर वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किये तथा आरोपी कोमल पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त वाहन का स्वामी होते हुये बिना बीमा के एवं बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने हेतु दिया।
- 2. अभियोजन पक्ष का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राधेलाल ने दिनांक 08.04.2013 को चौकी सालेटेकरी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह ग्राम खादी में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता

है। दिनांक 08.04.2013 को सुबह 9:30 बजे अपने दोस्त नेमसिंह के साथ ग्राम कचनारी बस्ती अपनी मोटरसाईकिल से आया था वहां से वापस अपने घर जाते समय जैसे ही वह बस्ती से मेन रोड पर निकला तभी कचनारी तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक एक व्यक्ति को पीछे बैटाकर तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल को चलाते हुए लाया और उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह तथा उसका दोस्त नेमसिंह मोटरसाईकिल को टक्कर मार गये, जिससे उसे तथा नेमसिंह को चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट पर से चौकी सालेटेकरी में आरोपीगण के विरूद्ध 0/13 पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध 41/13 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 130(3)/177, 146/196 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3. आरोपी लखनू को भा.द.वि. की धारा 279, 337(दो बार) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177 एवं आरोपी कोमल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण राधेलाल एवं नेमिसंह ने आरोपी लखनू से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी लखनू के विरुद्ध धारा 337(दो बार) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जा कर शेष अपराध धारा 279 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177 हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-
  - 1. क्या आरोपी लखनू ने 08.04.2013 को दिन के करीब 9:30 बजे ग्राम कचनारी मंदिर टोला, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50 / एम.सी.6668 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
  - 2. क्या आरोपी लखनू ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी बैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
  - 3. क्या आरोपी लखनू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मौके पर उपरोक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया?

4. क्या आरोपी कोमल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाले उक्त वाहन को बिना बीमा के एवं बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया ?

## विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2, 3 व 4 पर सकारण निष्कर्ष :-

- फरियादी / आहत राधेलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन 5. किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष अप्रैल की है। वह अपनी मोटरसाईकिल पर नेमसिंह को पीछे बैठाकर खादी जा रहा था तभी कचनारी तरफ से आरोपी मोटरसाईकिल पर आत्माराम को बैठाकर आया और दोनों मोटरसाईकिल टकरा गई थी, जिससे दोनों की मोटरसाईकिल गिर गई थी, उक्त घटना में उसे और पीछे बैठे नेमसिंह को चोट आयी थी। उक्त घटना में आरोपीगण को भी चोट आयी थी। साक्षी ने कथन किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपीगण ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर दी थी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी सालेटेकरी में प्रदर्श पी-1 दर्ज करायी थी,जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाय था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना में दोनों वाहन चालको की गलती नहीं थी और दुर्घटना घटित हो गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों का आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध स्वयं आहत एवं फरियादी होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 6. अभियोजन साक्षी / आहत नेमिसंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानाता है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष अप्रैल माह की है। वह प्रार्थी राघेलाल की मोटरसाईकिल में पीछे बैठकर कचनारी से ग्रम खादी जा रहे थे, तभी कचनारी तरफ से आरोपी मोटरसाईकिल में आत्माराम को बैठाकर आया और दोनों मोटरसाईकिल टकरा गई थी, जिससे दोनों मोटरसाईकिल गिर गयी थी। मोटरसाईकिल गिरने से उसे व राघेलाल तथा दोनों आरोपीगण को चोट आयी थी। साक्षी ने कथन किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी लखनू मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और टककर मार दी। घटना की रिपोर्ट राघेलाल ने दर्ज करवायी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका डाक्टरी करवाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटना अचानक हो गई थी, उक्त दुर्घटना में आरोपी लखनू की कोई गलती नहीं थी। साक्षी ने कथन किया है कि उन लोगों का आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा आरोपी क

द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में स्वयं आहत एव प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

अनुसंधानकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में 7. कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2013 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उकत दिनांक को सूचनाकर्ता राधेलाल की मौखिक रिपोर्ट पर उसने मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.50 / एम.सी.6668 के चालक के विरूद्व प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 को असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था, उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 है, जिस पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचनाता हैउनके साथ लगभग ड़ेढ वर्ष साथ में कार्य किया हूं। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही प्रदर्श पी-2 का नजरी नक्शा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी राधेलाल, साक्षी योगेन्द्र, नेमसिंह एवं दिनांक 13. 04.2013 को सुरितराम के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्व ारा दिनांक 8.04.2013 को घटना स्थल से एक मोटरसाईकिल एम.पी.50 / एम.सी. 6668 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त मोटर साईकिल का विधिवत् वाहन परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया हूं। दिनांक 08.04.2013 को आरोपी लखन् को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.सी.6668 से क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल कमांक सी.जी.08 / 3834 का नुकसानी पंचनामा साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिसमें लगभग एक हजार रूपये की नुकसानी हुई थी। आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने, बीमा न होने तथा मौके पर दस्तावेज न पेश करने से एवं वाहन मालिक द्वारा बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देने से धारा 3/181, 146 / 196, 130(3) / 177 एवं 5 / 180 मोटर यान अधिनियम का हिजाफा किया था। उसके द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने मौका नक्शा थाने में बैठकर बनाया था तथा साक्षियों के कथन अपने मन से थाने में बैठकर लेख कर लिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नुकसानी पंचनामा बनाया गया था, जिसमें दोनों ही वाहनों को नुकसान हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा आरोपी के द्वारा दस्तावेज पेश न करने से लगायी गई थी।

अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण को आहतगण

8.

के रूप में पेश किया गया है उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपी लखनू के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन चलाये जाने का समर्थन तो किया गया है किन्तु लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया गया है। मामले में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है मात्र समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य करायी गई है जिसके कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि मोटरसाईकिल को आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था। यद्यपि अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी लखनू के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाईकिल को बिना वैध लायसेंस के एवं बिना बीमा कराये चलाया जा रहा था उक्त वाहन के मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये थे, और आरोपी कोमल ने उक्त वाहन का स्वामी होते हुए वाहन को बिना बीमा के बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को उक्त वाहन चलाने के लिए दिया।

- 9. उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी लखनू ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक—एम पी.50 / एम.सी.6668 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि आरोपी लखनू ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में उपरोक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के उक्त वाहन का चालन किया और मौके पर पुलिस अधिकारी को वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया तथा आरोपी कोमल ने उक्त वाहन के स्वामी होते हुये बिना बीमा एवं बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने हेतु दिया। अतएव आरोपी लखनू को धारा 279 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाकर आरोपी लखनू को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177 के अंतर्गत एवं आरोपी कोमल को मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अंतर्गत दोषसिद्व ठहराया जाता है।
- 10. मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी लखनू को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 में 500/—(पांच सौ रूपये) एवं 146/196 में 1000/—(एक हजार रूपये) तथा 130(3)/177 में 100/—(एक सौ रूपये) कुल 1,600/— (एक हजार छः सौ रूपये) एवं आरोपी कोमल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 में 500/— (पांच सौ रूपये) तथा 146/196 में 1000/— (एक हजार रूपये) कुल 1500/— (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड

से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

- 11. आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी. 50 / एम.सी.6668 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार लक्ष्मण पिता रूपलाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावें अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

